

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं०सं०-02/परी०-09(को०प्र०)-13/2019-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-465 दिनांक-07.04.2021 के क्रमांक -41 पर अंकित विवरणानुसार डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

समाहरणालय भोजपुर, आरा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश "डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा" के स्थान पर "डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा" अंकित हो गया था जिसे "डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा" पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-465 दिनांक-07.04.2021 द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-41 पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत "डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा" के स्थान पर "डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा" पढ़ा जाय।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-02/परी०-09(को०प्र०)-13/2019-913 पटना, दिनांक:- 30.07.2021
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० सुजीत कुमार, दन्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/21

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

30.07.2021